RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

DATE
मार्च
28
2025

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors

By Ankit Avasthi Sir

सड़क दुर्घटनाओं से GDP को नुकसान / GDP loss due to road accidents

संदर्भ:

केंद्रीय मंत्री **नितिन गडकरी** ने बताया कि भारत को हर साल **5 लाख सड़क दुर्घटनाओं** के कारण **GDP का 3% नुकसान** होता है, जिससे **1.88 लाख मौतें** होती हैं। खासतौर पर **18-45 आयु वर्ग** सबसे अधिक प्रभावित होता है। उन्होंने **खराब परियोजना रिपोर्टों** को दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण बताया।

भारत में सड़क दुर्घटनाएँ:

- वर्ष 2022 में भारत में कुल **4,61,312 सड़क दुर्घटनाएँ** हुईं, जिनमें **4,43,366 लोग घायल** हुए और **1,68,491 लोगों की मृत्यु** हुई।
- **2021 की तुलना में**, 2022 में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या **11.9%**, मौतों की संख्या **9.4%**, और घायलों की संख्या **15.3%** बढ़ी।
- सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता (प्रति 100 दुर्घटनाओं पर मृत्यु दर) **2021 में 37.3 थी**, जो **2022 में घटकर 36.5 हो गई**।
- **18 से 45 वर्ष** के युवा वयस्कों की हिस्सेदारी कुल सड़क दुर्घटना पीड़ितों में **66.5%** रही, जबकि **18 से 60 वर्ष** की आयु वर्ग के लोग **83.4% मौतों** के शिकार हुए।
- **दोपहिया वाहन** सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बने, जिनकी हिस्सेदारी **44.5%** रही। इसके बाद **पैदल यात्री (19.5%)**, **कार/टैक्सी/वैन (12.5%)**, और **ट्रक (6.3%)** का स्थान रहा।
- **ओवरस्पीडिंग (अत्यधिक तेज़ गति)** सड़क दुर्घटनाओं का सबसे प्रमुख कारण बना, जो **2022 में 72.3% दुर्घटनाओं और 71.2% मौतों** के लिए जिम्मेदार रहा।

सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण:

1. **सुरक्षा सुविधाओं की कमी** – भारत में कई बजट कारों में एयरबैग जैसी आवश्यक सुरक्षा सुविधाएँ नहीं होतीं।
2. **सड़कों पर भीड़भाड़** – सड़क पर अत्यधिक वाहन, पैदल यात्री और पशुओं की मौजूदगी दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ाती है।
3. **व्यवहारगत समस्याएँ** – यातायात नियमों का पालन न करना, ओवरस्पीडिंग और लापरवाह ड्राइविंग प्रमुख कारण हैं।
4. **सड़क संरचना में खामियाँ** – गड्ढे, ब्लैक स्पॉट और अधूरी सड़क अवसंरचना दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं।
5. **कानूनों का कमजोर प्रवर्तन** – विशेषकर राज्य और जिला स्तर पर यातायात नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पाता।
6. **वाहन मानक** – ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और तकनीक को और बेहतर बनाने की आवश्यकता है।
7. **जागरूकता और शिक्षा की कमी** – सड़क सुरक्षा से संबंधित जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या और प्रभाव कम है।

सड़क दुर्घटनाओं से GDP को नुकसान:

1. **कामकाजी आयु वर्ग की हानि** – **18 से 45 वर्ष** के युवाओं और कामकाजी लोगों की मृत्यु और उत्पादकता में कमी से GDP की वृद्धि पर सीधा असर पड़ता है।
2. **पर्यटन और परिवहन पर प्रभाव** – सड़क दुर्घटनाएँ पर्यटन और व्यावसायिक परिवहन की दक्षता को कम करती हैं, जिससे अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
3. **बीमा और कानूनी खर्चों में वृद्धि** – दुर्घटनाओं से बीमा और कानूनी प्रक्रियाओं का खर्च बढ़ जाता है, जो व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए आर्थिक बोझ बनता है।
4. **आय का नुकसान** – दुर्घटना पीड़ितों की अस्थायी या स्थायी विकलांगता के कारण उनकी आय प्रभावित होती है, जिससे आर्थिक उत्पादकता घटती है।
5. **चिकित्सा खर्चों में वृद्धि** – दुर्घटना पीड़ितों के इलाज पर भारी खर्च होता है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ता है।
6. **सड़कों की मरम्मत पर व्यय** – दुर्घटनाओं से बुनियादी ढांचे को नुकसान होता है, जिसे ठीक करने के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है।

कॉलेजियम प्रणाली / Collegium System

संदर्भ:

उपराष्ट्रपति **जगदीप धनखड़** ने **राज्यसभा के फ्लोर नेताओं** के साथ बैठक की, जिसमें **दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास से बरामद अर्ध-जले भारतीय करेंसी नोटों** के मामले पर चर्चा की गई।

भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति:

पृष्ठभूमि

- भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर **पारदर्शिता, जवाबदेही और न्यायिक स्वतंत्रता** से जुड़े मुद्दों पर व्यापक बहस होती रही है।
- **उच्च न्यायपालिका** में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए दो प्रमुख प्रणालियाँ अपनाई गई हैं - **कोलेजियम प्रणाली (Collegium System)** और **राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC)**।
- वर्तमान कोलेजियम प्रणाली को अपारदर्शिता और औपचारिक प्रक्रियाओं की कमी के कारण आलोचना झेलनी पड़ती है, जबकि NJAC को सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के आधार पर रद्द कर दिया था।

संवैधानिक प्रावधान (Judicial Appointment in India):

1. **अनुच्छेद 124** -
   - **सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों** की नियुक्ति **राष्ट्रपति द्वारा** की जाती है।
   - राष्ट्रपति, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श ले सकते हैं, जिन्हें वह आवश्यक समझें।
   - **मुख्य न्यायाधीश (CJI) की नियुक्ति को छोड़कर, अन्य सभी न्यायिक नियुक्तियों में CJI से परामर्श अनिवार्य है।**
2. **अनुच्छेद 217** -
   - **उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों** की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
   - इसमें **मुख्य न्यायाधीश (CJI), राज्य के राज्यपाल, और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लिया जाता है।**

कोलेजियम प्रणाली (Collegium System):

- सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की एक प्रक्रिया है।
- यह प्रणाली संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है बल्कि "जजेस केस" (Judges Cases) के न्यायिक निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई।
- इस प्रणाली में न्यायपालिका को अपने ही सदस्यों को चुनने की प्राथमिकता दी गई है, जिससे कार्यपालिका (Executive) की भूमिका सीमित हो जाती है।

कोलेजियम की संरचना:

1. **सुप्रीम कोर्ट के लिए –** मुख्य न्यायाधीश (CJI) और सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश।
2. **उच्च न्यायालय के लिए** - संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और दो वरिष्ठतम न्यायाधीश।

- कोलेजियम द्वारा दी गई सिफारिशें सरकार को भेजी जाती हैं।
- सरकार स्पष्टीकरण मांग सकती है या जाँच (Intelligence Bureau - IB) करवा सकती है।
- यदि कोलेजियम अपनी सिफारिश दोहराता है, तो सरकार को उसे स्वीकार करना अनिवार्य होता है।

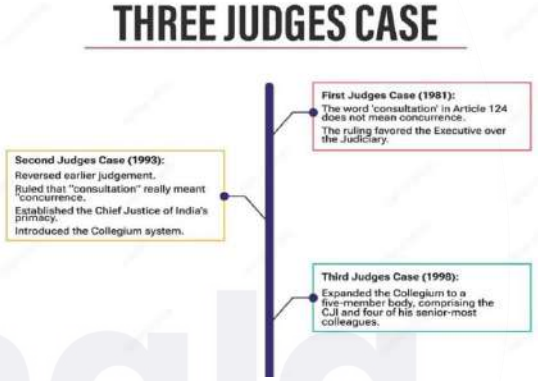

कोलेजियम प्रणाली की आलोचनाएँ:

1. **अपारदर्शिता (Lack of Transparency)** - इस प्रणाली में कोई आधिकारिक तंत्र या सचिवालय (Secretariat) नहीं है, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रहती।
2. **निर्धारित पात्रता मानदंडों की अनुपस्थिति** - न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोई निर्धारित योग्यता मानदंड (Eligibility Criteria) या स्पष्ट चयन प्रक्रिया नहीं है।
3. **गोपनीय निर्णय प्रक्रिया** - निर्णय बंद दरवाजों के पीछे लिए जाते हैं, और कोलेजियम बैठकों का कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड या कार्यवृत्त (Minutes) उपलब्ध नहीं होता।
4. **वकीलों की अनभिज्ञता** - अधिवक्ता (Lawyers) अक्सर यह नहीं जान पाते कि उनके नाम न्यायिक नियुक्तियों के लिए विचाराधीन हैं या नहीं।

आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 / The Disaster Management (Amendment) Bill, 2024

संदर्भ:

संसद ने **आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024** पारित किया, जिसका उद्देश्य आपदा प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करना है।

आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024:

मुख्य विशेषताएँ और संशोधन:

1. **आपदा प्रबंधन योजनाएँ** – अब **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA)** स्वयं योजनाएँ तैयार करेंगे, पहले यह कार्य कार्यकारी समितियों को सौंपा जाता था।
2. **NDMA और SDMA के विस्तारित कार्य**:
   - **नियमित आपदा जोखिम मूल्यांकन**, जिसमें जलवायु परिवर्तन संबंधी जोखिम शामिल होंगे।
   - **तकनीकी मार्गदर्शन और न्यूनतम राहत मानकों** की व्यवस्था।
   - **राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा डेटाबेस तैयार करना।**
   - **आपदा के बाद ऑडिट और राज्य की तैयारी का आकलन।**
3. **शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (Urban Disaster Management Authorities)**:
   - राज्य की राजधानियों और नगर निगम वाले शहरों में स्थापित किए जाएंगे।
   - नगर आयुक्त (Municipal Commissioner) अध्यक्ष होंगे, और जिला कलेक्टर उपाध्यक्ष होंगे।
4. **राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF):** राज्यों को **SDRF गठित करने की शक्ति** दी गई है, जिसमें उनकी भूमिकाएँ और सेवा शर्तें स्पष्ट होंगी।
5. **कानूनी दर्जा (Statutory Status):** राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCMC) और उच्च स्तरीय समिति (HLC) को आपदा वित्तीय निगरानी के लिए वैधानिक दर्जा दिया गया।
6. **NDMA में नियुक्तियाँ:** NDMA अब अपनी स्टाफिंग आवश्यकताओं को निर्दिष्ट कर सकता है और केंद्र सरकार की मंजूरी से विशेषज्ञ नियुक्त कर सकता है।

संशोधन की आवश्यकता:

1. **जलवायु परिवर्तन (Climate Change)** – चरम जलवायु घटनाओं में वृद्धि से **आपदा प्रबंधन की सक्रिय योजना** आवश्यक हो गई है।
2. **विकेंद्रीकरण की कमी (Decentralization Gaps)** – राज्यों को **2005 के कानून के कार्यान्वयन में कठिनाइयों** का सामना करना पड़ा।
3. **संस्थानों को मजबूत करना** – **राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर** पर **जवाबदेह और स्पष्ट संरचनाएँ** बनाने का प्रयास।
4. **डेटा और तकनीक का समावेश** – **रीयल-टाइम आपदा डेटाबेस** और **आपदा के बाद ऑडिट प्रणाली** की जरूरत।

आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 से जुड़े मुद्दे:

1. **केन्द्रिकरण की चिंता:** विपक्ष का दावा है कि **इसमें केंद्र सरकार को अत्यधिक शक्तियाँ दी गई हैं**, जिससे संघीय संतुलन प्रभावित हो सकता है।
2. **राज्य शक्तियों का अतिक्रमण: आपदा योजना और कोष के उपयोग** में राज्यों के अधिकार सीमित किए जा सकते हैं।
3. **NDRF कोष पर नियंत्रण: केन्द्र की अधिक निगरानी से राहत प्रयासों में देरी** हो सकती है।
4. **जलवायु-प्रेरित आपदाओं की अनदेखी: लू (Heatwaves) जैसी आपदाओं को परिभाषा में शामिल नहीं किया गया।**
5. **राज्य-विशेष राहत बजट की कमी: बिहार जैसे राज्य क्षेत्रीय आपदा राहत कोष की मांग कर रहे हैं।**

समानिकरण उपकर / Equalisation Levy

संदर्भ:

केंद्र सरकार ने **1 अप्रैल 2025** से **6% समानीकरण शुल्क (Equalisation Levy) समाप्त करने का प्रस्ताव** रखा है। यह कदम प्रमुख **अमेरिकी टेक कंपनियों** को लाभ पहुंचाएगा और **भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों** में सुधार करेगा।

समानिकरण उपकर (Equalisation Levy - Digital Services Tax):

परिचय:

समानिकरण उपकर (Equalisation Levy) एक **डिजिटल कर** है, जिसे **केंद्रीय बजट 2016** में पेश किया गया था। इसका उद्देश्य **डिजिटल लेनदेन पर कर लगाना** और **गैर-स्थानीय ई-कॉमर्स कंपनियों** को कर व्यवस्था के दायरे में लाना था।

समानिकरण उपकर की आवश्यकता:

1. **डिजिटल कंपनियों का डेटा उपयोग** –
   - ये कंपनियाँ उपयोगकर्ताओं द्वारा उत्पन्न डेटा का उपयोग करके डिजिटल विज्ञापन से भारी राजस्व अर्जित करती हैं।
2. **स्रोत देश में कर दायित्व की कमी** –
   - डिजिटल कंपनियाँ किसी देश में डेटा उत्पन्न कर कमाई तो करती हैं, लेकिन वहां उचित कर नहीं चुकातीं।
3. **स्थानीय और विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों के बीच संतुलन** –
   - स्थानीय कंपनियों और विदेशी डिजिटल कंपनियों के बीच समान प्रतिस्पर्धा (Level Playing Field) सुनिश्चित करने के लिए यह कर लगाया गया।

समानिकरण उपकर (Equalisation Levy) का प्रावधान:

- **6% का समानिकरण उपकर** उन विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों की आय पर लागू होता है, जो भारत में स्थायी रूप से पंजीकृत नहीं हैं।
- भारत में स्थित कोई भी व्यक्ति या संस्था, जो किसी ग़ैर-स्थायी प्रौद्योगिकी कंपनी (जैसे Google) को व्यवसाय-से-व्यवसाय (B2B) लेनदेन के लिए एक वित्तीय वर्ष में 1 लाख रुपये से अधिक का भुगतान करती है, उसे 6% कर काटकर भुगतान करना होता है।
- इसे "Google Tax" भी कहा जाता है, क्योंकि इसने Google, Meta और Amazon जैसी विदेशी डिजिटल कंपनियों को प्रभावित किया।

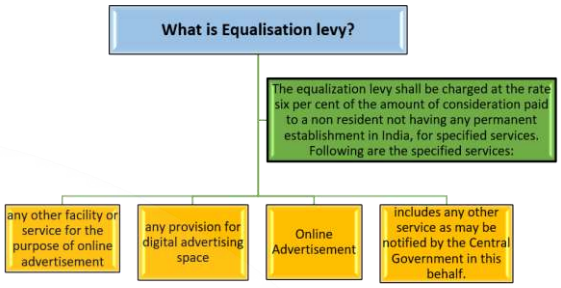

समानिकरण उपकर समाप्त करने के कारण:

1. **अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव** –
   - अमेरिका ने इसे "भेदभावपूर्ण और अनुचित" बताते हुए अमेरिकी टेक कंपनियों के खिलाफ़ पक्षपाती कर करार दिया।
   - अमेरिका की एक वर्ष लंबी जांच में निष्कर्ष निकला कि कई देशों (भारत सहित) द्वारा लगाया गया डिजिटल सेवा कर अंतरराष्ट्रीय कर मानकों के विरुद्ध है।
2. **वैश्विक कर सुधारों के साथ तालमेल** –
   - भारत, अमेरिका और OECD/G20 देशों ने अक्टूबर 2021 में डिजिटल अर्थव्यवस्था के कराधान में सुधार के लिए दो-स्तरीय ढांचे पर सहमति जताई।
   - भारत ने 2024 में पहले ही ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर 2% समानिकरण उपकर हटा दिया था, और इस कदम से वैश्विक कर सुधार प्रयासों के प्रति समर्थन स्पष्ट हुआ।
3. **विदेशी निवेश को प्रोत्साहन** –
   - EL हटाने से भारत ने विदेशी कंपनियों के प्रति अनुकूल नीति अपनाने का संकेत दिया, जिससे तकनीकी क्षेत्र में निवेश बढ़ने की संभावना है।
   - विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम संभावित अमेरिकी व्यापार प्रतिबंधों को रोक सकता है, जो भारतीय निर्यात को प्रभावित कर सकते थे।

मंगल ग्रह में धूल / Martian dust

संदर्भ:

एक नई अध्ययन में मंगल ग्रह पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए संभावित खतरा उजागर हुआ है। शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि **सूक्ष्म, चिपचिपी और विषैली धूल मंगल ग्रह की सतह को ढक** सकती है, जिससे भविष्य के अन्वेषकों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता है।

- यह निष्कर्ष महत्वपूर्ण है, क्योंकि नासा और चीनी मानव अंतरिक्ष एजेंसी (CMS) अगले दशक में अपने अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल पर भेजने की योजना बना रहे हैं।

मार्टियन धूल पर रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

1. सूक्ष्म धूल कण:

- मंगल ग्रह की धूल के कण बहुत छोटे होते हैं (लगभग मानव बाल की चौड़ाई का 4%)।
- ये सूक्ष्म कण फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश कर रक्त प्रवाह में मिल सकते हैं, जिससे श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

2. मार्टियन धूल में विषैले तत्व:

- इसमें सिलिका, जिप्सम, पर्क्लोरेट्स, क्रोमियम, आर्सेनिक और नैनोफेज़ आयरन ऑक्साइड मौजूद होते हैं।
- माइक्रोग्रैविटी (सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण) और विकिरण (Radiation) के कारण ये विषैले तत्व अधिक हानिकारक हो सकते हैं।

3. धूल भरी आंधियां:

- हर मंगल वर्ष (~687 पृथ्वी दिवस) में क्षेत्रीय धूल भरी आंधियां उठती हैं।
- हर तीन मंगल वर्षों में ये आंधियां पूरे ग्रह को ढकने वाले तूफानों में परिवर्तित हो जाती हैं।

4. रक्षा के उपाय:

- वायु निस्पंदन प्रणाली (Air Filters) का उपयोग।
- स्व-सफाई अंतरिक्ष सूट (Self-cleaning space suits)।
- इलेक्ट्रोस्टेटिक विकर्षण उपकरण (Electrostatic Repulsion Devices), जो धूल कणों को हटाने में मदद कर सकते हैं।

मंगल ग्रह की धूल का खतरनाक प्रभाव

1. **सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण और विकिरण का प्रभाव:** शोधकर्ताओं के अनुसार, मंगल की सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण (Microgravity) और विकिरण धूल के विषैले प्रभावों को बढ़ा सकते हैं।
2. **अल्पकालिक प्रभाव (Short-term Effects):** खांसी, आंखों में जलन और गले में खराश, जो चंद्रमा पर गए अपोलो मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा अनुभव किए गए लक्षणों से मिलते-जुलते हैं।
3. **दीर्घकालिक स्वास्थ्य जोखिम (Long-term Health Risks):** लंबे समय तक संपर्क में रहने से पुरानी बीमारियों (Chronic Health Issues) का खतरा बढ़ सकता है।

4. आपातकालीन सहायता की समस्या

- अपोलो मिशन के अंतरिक्ष यात्री एक सप्ताह में पृथ्वी लौट सकते थे, लेकिन मंगल अभियान में यह संभव नहीं होगा।
- पृथ्वी से 40 मिनट की संचार देरी (Communication Delay) आपातकालीन चिकित्सा सहायता को अविश्वसनीय बना देती है।

5. संरक्षण के उपाय (Protective Measures)

- उच्च गुणवत्ता वाले सुरक्षा उपकरण (High-grade protective gear)।
- विकसित अंतरिक्ष सूट (Advanced Space Suits)।
- वायु निस्पंदन प्रणाली (Air Filters) का अनिवार्य उपयोग।

रूस और यूक्रेन, काला सागर समझौता / Russia and Ukraine, Black Sea Agreement deal

संदर्भ:

रूस और यूक्रेन ने **अमेरिका की मध्यस्थता में सऊदी अरब के रियाद में हुई शांति वार्ता** के बाद **काला सागर और ऊर्जा सुविधाओं** पर **नौसैनिक संघर्षविराम** पर सहमति जताई है।

ब्लैक सी डील (Black Sea Deal) क्या है?

1. **सुरक्षित नौवहन (Safe Navigation)**
   - रूस और यूक्रेन ने सहमति व्यक्त की है कि काला सागर (Black Sea) में वाणिज्यिक जहाजों (Commercial Vessels) का सैन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।
   - दोनों देश बल प्रयोग (Use of Force) को समाप्त करने और नौवहन मार्गों को सुरक्षित रखने पर सहमत हुए हैं।
2. **ऊर्जा सुविधाओं पर हमले की रोक (Ban on Strikes over Energy Facilities)**
   - दोनों देशों की तेल और गैस पाइपलाइनों, भंडारण स्थलों, तेल शोधन संयंत्रों (Oil Refineries) और बिजली वितरण प्रणालियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा।
   - परमाणु संयंत्र (Nuclear Power Plants) और जलविद्युत बांध (Hydroelectric Dams) भी संरक्षित रहेंगे।
3. **रूसी कृषि उत्पादों पर प्रतिबंध हटाने की पहल**
   - अमेरिका ने रूसी कृषि और उर्वरक निर्यात को वैश्विक बाजार तक पहुंच देने में मदद करने का वादा किया है।
   - प्रत्यक्ष प्रतिबंध (Direct Sanctions) नहीं लगाए गए हैं, लेकिन रूस के अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों (Payment Systems) तक पहुंच सीमित की गई थी।
4. **ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव की बहाली (Resumption of Black Sea Grain Initiative):** यह समझौता पहले के ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव (Black Sea Grain Initiative) की बहाली का हिस्सा है, जो वैश्विक खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किया गया था।

Black Sea:

भौगोलिक स्थिति (Geographical Location)

- ब्लैक सी (Black Sea), जिसे यूक्सीन सागर (Euxine Sea) भी कहा जाता है, दुनिया की प्रमुख अंतर्देशीय (Inland) समुद्रों में से एक है।
- यह पूर्वी यूरोप (Eastern Europe) और पश्चिमी एशिया (Western Asia) के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण जल निकाय है।
- समुद्र से घिरे क्षेत्र को ब्लैक सी रीजन कहा जाता है।

प्राकृतिक सीमाएँ (Natural Boundaries)

- दक्षिण में पोंटिक (Pontic), पूर्व में कॉकसस, और उत्तर में क्रीमियन पहाड़ियां इसे घेरे हुए हैं।
- ब्लैक सी का तुर्की जलडमरूमध्य प्रणाली (Turkish Straits System) - डार्डानेल्स (Dardanelles), बोस्फोरस (Bosporus) और मारमारा सागर के माध्यम से भूमध्य सागर से संपर्क है।
- यह कर्च जलडमरूमध्य (Strait of Kerch) के जरिए एजोव सागर (Sea of Azov) से जुड़ा हुआ है।

सीमावर्ती देश (Bordering Countries)

- रूस (Russia)
- यूक्रेन (Ukraine)
- जॉर्जिया (Georgia)
- तुर्की (Turkey)
- बुल्गारिया (Bulgaria)
- रोमानिया (Romania)

जल निकासी प्रणाली : ब्लैक सी का पानी एजियन सागर और विभिन्न जलडमरूमध्य के माध्यम से भूमध्य सागर में प्रवाहित होता है।

गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम / Gold Monetisation Scheme

संदर्भ:

वित्त मंत्रालय ने **गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम** के तहत **मध्यम और दीर्घकालिक जमा (Medium & Long-term deposits) बंद करने की घोषणा** की है। हालांकि, बैंक अपनी सुविधा के अनुसार 1-3 साल के अल्पकालिक स्वर्ण जमा (Short-Term Gold Deposits) जारी रख सकते हैं।

गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम / Gold Monetisation Scheme (GMS):

1. गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम (GMS)

परिचय:

- **GMS की घोषणा 15 सितंबर 2015 को की गई थी।**
- यह 'Gold Deposit Scheme' और 'Gold Metal Loan' योजना को मिलाकर बनाया गया है।
- **उद्देश्य:**
  - भारत की लंबी अवधि की स्वर्ण आयात (Gold Imports) पर निर्भरता कम करना।
  - घरेलू और संस्थागत सोने को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाना।

GMS के प्रमुख घटक:

1. **शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट (1-3 वर्ष):**
   - ब्याज दर: **बदलती रहती है (Variable Interest Rate)।**
   - बैंक इस पर खुद निर्णय लेते हैं।
2. **मध्यम अवधि की सरकारी जमा (5-7 वर्ष):** ब्याज दर: **2.25% प्रति वर्ष।**
3. **दीर्घकालिक सरकारी जमा (12-15 वर्ष):** ब्याज दर: **2.5% प्रति वर्ष।**

ब्याज दर निर्धारण:

- मध्यम और दीर्घकालिक सरकारी जमा (MLTGD) की ब्याज दर केंद्र सरकार और RBI मिलकर तय करते हैं।
- शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट की ब्याज दर बैंक स्वयं तय करते हैं।

गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम (GMS) की विशेषताएँ:

1. न्यूनतम और अधिकतम जमा सीमा

- **न्यूनतम जमा: 10 ग्राम सोना** (सोने की छड़ें, सिक्के, आभूषण – बिना रत्न या अन्य धातु)।
- **अधिकतम जमा: कोई ऊपरी सीमा नहीं**, व्यक्ति और संस्थान असीमित मात्रा में सोना जमा कर सकते हैं।

2. ब्याज और लाभ

- **ब्याज रुपये में नहीं, सोने में मिलता है**, जिससे मुद्रा विनिमय दरों के प्रभाव से सुरक्षा मिलती है।
- **ब्याज कर मुक्त (Tax-Free) है**, जो इसे एक लाभकारी निवेश विकल्प बनाता है।

3. शुद्धता जांच और पारदर्शिता

- सोने की शुद्धता का परीक्षण **CPTCs (Collection & Purity Testing Centres)** द्वारा किया जाता है।
- अधिकतम पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए केवल प्रमाणित सोना ही स्वीकार किया जाता है।

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) योजना:

2015 में लॉन्च किया गया, मुख्य उद्देश्य:

- भौतिक सोने की मांग को कम करना।
- लोगों की बचत को वित्तीय परिसंपत्तियों (Financial Assets) की ओर मोड़ना।

ब्याज दर:

- प्रारंभिक निवेश पर **2.5% वार्षिक ब्याज।**
- ब्याज **हर छह महीने में निवेशक के बैंक खाते में जमा होता है।**

GMS और SGB दोनों योजनाएँ भारत की गोल्ड आयात निर्भरता को कम करने और वित्तीय बचत को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई हैं।

एबेल पुरस्कार / Abel Prize

संदर्भ:

जापानी गणितज्ञ **मासाकी काशीवारा** को इस वर्ष का **एबेल पुरस्कार** प्रदान किया गया है। उन्हें **बीजगणितीय विश्लेषण, प्रतिनिधित्व सिद्धांत, डी-मॉड्यूल्स के विकास** और **क्रिस्टल बेस की खोज** में उनके क्रांतिकारी कार्य के लिए सम्मानित किया गया है।

मसाकी काशीवारा का योगदान:

- **सम्मान:** मासाकी काशिवारा को **बीजगणितीय विश्लेषण (Algebraic Analysis)** और **प्रतिनिधित्व सिद्धांत (Representation Theory)** में उनके मौलिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया।
- **D-मॉड्यूल्स (D-Modules) का विकास:** उन्होंने **D-मॉड्यूल्स** की थ्योरी विकसित की, जिससे **गणितीय समीकरणों और उनके हलों** के अध्ययन में नई दिशाएँ खुलीं।
- **क्रिस्टल बेस (Crystal Bases) की खोज:**
  - इस खोज से **जटिल गणनाओं को सरल ग्राफ़ में बदला जा सकता है**।
  - इसने गणितीय सिद्धांतों की समझ और गणना में **क्रांतिकारी सुधार** लाया।

एबेल पुरस्कार / Abel Prize:

- **नामकरण:** यह पुरस्कार प्रसिद्ध नॉर्वेजियन गणितज्ञ **नील्स हेनरिक एबल (Niels Henrik Abel) (1802–1829)** के नाम पर रखा गया है।
- **स्थापना:** नॉर्वेजियन संसद ने इसे **2002 में** एबल की **200वीं जयंती** के उपलक्ष्य में स्थापित किया था।
- **पहला पुरस्कार:** **2003 में** दिया गया। इसे गणित में **"नोबेल पुरस्कार" के समकक्ष** माना जाता है।
- **चयन प्रक्रिया:** विजेताओं का चयन **अकादमी द्वारा नियुक्त समिति** करती है, जिसमें **अंतरराष्ट्रीय गणितीय संघ (IMU) और यूरोपीय गणितीय सोसायटी** की सलाह ली जाती है।
- **पुरस्कार:** इसमें **नकद राशि** और नॉर्वेजियन कलाकार **हेनरिक हौगन** द्वारा डिज़ाइन की गई **कांच की पट्टिका (Glass Plaque)** शामिल होती है।

MRI तकनीक / MRI Technology

संदर्भ:

भारत ने अपना **पहला स्वदेशी रूप से निर्मित MRI मशीन** विकसित कर लिया है, जिसे **परीक्षण के लिए AIIMS दिल्ली** में स्थापित किया जाएगा।

AIIMS-Delhi में MRI मशीन की स्थापना:

- **स्थापना और परीक्षण:** यह मशीन अक्टूबर 2025 तक AIIMS-Delhi में स्थापित की जाएगी और क्लीनिकल ट्रायल्स के लिए उपयोग होगी।
- **लागत में कमी:** यह MRI स्कैन की लागत लगभग 50% तक कम कर सकती है, जिससे मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी।
- **स्वदेशी निर्माण:** यह मशीन विदेशी आयात पर भारत की निर्भरता कम करेगी और MRI तकनीक की सार्वजनिक पहुंच में सुधार लाएगी।

MRI (Magnetic Resonance Imaging) तकनीक

- **परिभाषा:** MRI एक गैर-आक्रामक (Non-invasive) चिकित्सा इमेजिंग तकनीक है, जिसका उपयोग शरीर के अंदरूनी अंगों, ऊतकों और संरचनाओं की विस्तृत छवियाँ बनाने के लिए किया जाता है।

- **उपयोग:** इसे मस्तिष्क (Brain), रीढ़ की हड्डी (Spinal Cord), मांसपेशियों (Muscles) और जोड़ों की विस्तृत जांच के लिए प्रयोग किया जाता है।
- **सुरक्षा:** X-ray और CT स्कैन के विपरीत, MRI में आयनीकरण विकिरण का उपयोग नहीं होता, जिससे यह सुरक्षित और बार-बार उपयोग करने योग्य होता है।

"GET READY FOR A WILD RIDE OF KNOWLEDGE !"

SUBSCRIBE OUR NEW YOUTUBE CHANNEL

ANKIT AVASTHI

Video will be upload soon !

RRB NTPC
TEST SERIES
100+ Mock Test
78 Sectional Test
40+ years PYPs
60+ Current affairs
TEST
Only
99
Per
Year
Buy Now

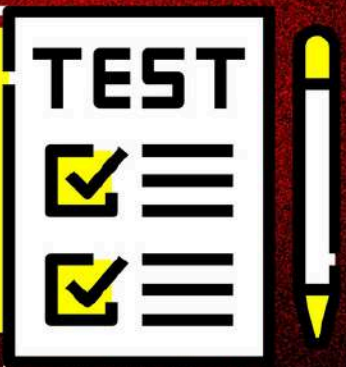

GA FOUNDATION

Hand Written Notes

Apni Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर

Ankit Inspires India

₹ Only 1999

4 पुस्तकों का सम्पूर्ण सेट

अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....

7878158882

APNI PATHSHALA

UPPSC,RO/ARO,BPSC,UP TEST SERIES

UPPSC
(TEST SERIES)
- 35+ MOCK TESTS
- 40+ PYQ'S
- 180+ TOPIC WISE TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299/- YEAR

RO/ARO
(TEST SERIES)
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299/- YEAR

BPSC
(TEST SERIES)
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299 YEAR

SSC (TEST SERIES)
- 30 MOCK TESTS
- 28+ YEAR PYP
- 12 SECTIONAL TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 99/- YEAR

RPF (TEST SERIES)
- 40 MOCK TESTS
- 2 YEAR PYQ'S
- 4 SECTIONAL TEST
- 10 PRACTICE TEST
- 60 CURRENT AFFAIRS

ONLY 99/- YEAR

Download | Application

Apni Pathshala

7878158882

Apni.Pathshala Avasthiankit

AnkitAvasthiSir kaankit

ANKIT AVASTHI SIR

NCERT COMPLETE

FOUNDATION BATCH

FOR ALL

- POLITY
- ECONOMICS
- HISTORY
- GEOGRAPHY

- DAILY LIVE CLASSES
- , WEEKLY TEST
- CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
- LIVE DOUBT SESSIONS
- DAILY PRACTISE PROBLEM

Rs 4999/-

Apni Pathshala 7878158882 Apni.Pathshala kaankit AnkitAvasthiSir Avasthiankit

ONLY
POLITY
1499
RS
DAILY LIVE CLASSES
, WEEKLY TEST
CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
LIVE DOUBT SESSIONS
DAILY PRACTISE PROBLEM
Apni Pathshala
7878158882
Apni.Pathshala
kaankit
AnkitAvasthiSir
Avasthiankit

SSC TEST SERIES

CGL, CHSL, MTS, CET, CPO, GD,

Stenographer (Grades C & D)

Only at

99/-Year

Enroll Now !